


भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: ०९/०७/२०२२

विषय: प्रशासनिक अधिकारी (समूह 'ख') राजपत्रित के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक सूचना राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र) एनसीडीसी (में)।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या AB.14017/61/2008-स्था . आरआर (के अनुपालन में। दिनांक 13.10.2015 , राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र) एनसीडीसी (, दिल्ली 110054 - प्रशासनिक अधिकारी (समूह 'ख') राजपत्रित पद के पद के लिए भर्ती नियम आदि युक्त मसौदा अधिसूचना संलग्न हैं।

2. मसौदा भर्ती नियमों पर यदि कोई साझेदार किसी प्रकार की आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव देने के इच्छुक हों तो मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर श्री मनीष कुमार, अवर सचिव, स्वा. एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 752-ए, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को लिखित में दे सकते हैं या manish.kr01@gov.in, publichealth2@yahoo.com पर ई-मेल कर सकते हैं।


(मनीष कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार
(Manish Kumar)
दूरभाष - 011 23063068
Under Secretary
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & Family Welfare
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
Nirman Bhawan, New Delhi-110011

भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 09/07/2021

सा.का.नि..... राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली में (श्रेणी-ख पद) भर्ती नियम 1970, जब तक ये नियम प्रशासनिक अधिकारी के संबंध में हैं, से संबंधित कार्य जो हो चुके हैं या नहीं करने हैं को स्थगित करते हुए, इसके स्थान पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, एन.सी.डी.सी. दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारी, (समूह 'ख' राजपत्रित पद), राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, दिल्ली के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये स्वा.सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम - राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, दिल्ली, प्रशासनिक अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित पद) भर्ती नियम-2021 .

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर : पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या उक्त पदों के साथ संलग्न वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि - भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. आयोग्यता - वह व्यक्ति-

क जिसने ऐसे किसी व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या

ख जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या उचित है, हो सकता है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, एवं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों का, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं होगा, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

मनीष

(मनीष कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष नं. 23063068

अवर सचिव

Under Secretary

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

Ministry of Health & Family Welfare

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011

Nirman Bhawan, New Delhi-110011